# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 182/2013

वादीगण :-

1 बजरंगसिंह पुत्र सोहनसिंह
2 हनुमानसिह पुत्र सोहनसिंह
3 रामसिंह पुत्र सोहनसिंह
4 श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह
जाति-राजपूत
5 हरनाथ पुत्र लिछमणनाथ
6 हडमाननाथ पुत्र घेवरनाथ
7 महेन्द्रनाथ पुत्र घेवरनाथ
8 मलनाथ पुत्र बालुनाथ जाति नाथ
9 गुणेशसिंह पुत्र माधुसिंह
10 अनोपकंवर पत्नी माधुसिंह
जाति-राजपूत
11 कमलादेवी पत्नी मंगनीराम
12 पुखराज पुत्र मंगनीराम
13 रामेश्वरलाल पुत्र मंगनीराम
14 शिम्भुराम पुत्र मंगनीराम
15 लक्ष्मीनारायण पुत्र बस्तीराम
जाति-ब्राह्मण, निवासीगण-बांकास
तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1 भंवरुराम पुत्र ताराराम जाति-रैगर
निवासी-बांकास
2 चम्पालाल पुत्र हापुराम सरगरा
निवासी-फालका, तहसील-जैतारण
3 नेमाराम पुत्र भोमाराम
जाति-मेघवाल, निवासी-दुदोड
तहसील-मारवाड जक्शन
हाल-रास, तहसील-जैतारण
4 तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 तारीख रजू:.25/06/2013

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 16/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 128 भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-बांकास ,पटवार हल्का-फालका में वादीगण संख्या एक से चार की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 04-11 बीघा व वादीगण संख्या पांच हरनाथ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/1 रकबा 04 बीघा व वादीगण संख्या 6 व 7 हडमानाथ एवं महेन्द्रनाथ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/2 रकबा 4 बीघा व वादीगण संख्या 08 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/3 रकबा 05 बीघा व वादीगण संख्या 09 व 10 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/4 रकबा 04-10 बीघा वादीगण संख्या 11 से 15 की खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 161/5 रकबा 02 बीघा व खसरा नम्बर 161/6 रकबा 03-10 बीघा आई हुई हैं। वादीगण उक्त खसरा नम्बरानकी भूमि पर अपने कब्जे काश्त व हिस्सेनुसार मौके पर सामलाती रुप से काश्त करते हैं। नकल जमाबंदी संवत 2066 से 2069 की साथ पेश हैं। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि के वादीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि के दक्षिण पश्चिम में एक रास्ता हैं, जो राजस्व रेकर्ड के नक्शे में भी अंकित हैं। उक्त रास्ता वक्त सैटलमेन्ट से आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है, जो वादीगण द्वारा प्रस्तूत सैटलमेन्ट के मोमी ट्रेस नक्शे से भी साबित हैं। वाद पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या एस से तीन का कोई हक व अधिकार नहीं हैं । फिर भी वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में खन्दक/मांठ को भी आये दिन खूर्द बुर्द करते है तथा वादीगण को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुचातें हैं। वादीगण ने अपनी खातेदारी के खसरा नम्बरान के नाचौप बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या चार के कार्यालय में दिनांक 03.06.2013 पेश किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार जैतारण ने पटवारी हल्का,फालका को वादीगण की कृषि भूमि को नापचौप करने के आदेश दिये। जिस पर पटवारी हल्का फालका ने दिनांक 22.06.2013 को वादी गण की भूमि का कोई नापचौप नहीं कर एक नकारात्मक रिपोर्ट कार्यालय में पेश कर दी। वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि के दक्षिण पश्चिम में एक रास्ता है तथा इस रास्ते के दक्षिण में प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 197 स्थित हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कृषि कार्य में अकृषि कार्य कर मौके पर मजदुर व कारीगर लगाकर नीवें खोदकर पक्के मकान का निर्माण कर रहें हैं। इतना ही नही प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को प्लोटो में काटकर अन्य व्यक्तियों को बैचान कर मौके पर पक्के मकानात निर्माण कर रहे हैं। तथा वादीगण के दक्षिणी पश्चिम में रास्ते को पूर्णतया खुर्द बुर्द कर नामो निशान मिटा दिया हैं। व वाद पत्र में वर्णित वादीगण की कृषि भूमि में भी मौके पर निर्माण कर रहे हैं। वादीगण को दिनांक 21.06.2013 को जानकारी होने पर वादीगण मौके पर गये व पक्के मकान के निर्माण करने बाबत मना किया व रास्ते के खुर्द बुर्द कर नामो निशान मिटाने बाबत औलबा देने पर प्रतिवादीगण वादीगण को गाली ग्लौच किया, लडाई झगडा करने पर आमदा हुए व झुठे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के मुकदमें में जैल भिजवाने की भी धमकी दी व वादीगण को उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी तब वादीगण ने उक्त वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्व प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादीगण ने अपनी खातेदारी के खसरा नम्बरान की पेमाईश हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण को देने पर पटवारी हल्का फालका द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही नही करने पर अब श्रीमान के समक्ष मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व सैटलमैन्ट द्वारा निर्मित किये गये मोमीट्रेस नक्शे के आधार से वादीगण की कृषि भूमि की पेमाईश की जाना आवश्यक हैं। जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद रास्ते बाबत नही हों। इसलिए धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का अनुतोष भी वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी हैं। यदि प्रतियादीगण द्वारा वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में तथा रास्ते की भूमि में बिना किसी हक अधिकार के मौके पर पक्का निर्माण कर देते है तो वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि तथा रास्ते के उपयोग उपभोग से भी वंचित होगें

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व वादीगण के अधिकार भी प्रभावित होगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो जाते है तो वादीगण को असीम हानि भी होगी व दिन प्रतिदिन हो रही है जिसके नुकसान की भरपाई की जाना संभव हैं। बिनायवाद दिनांक 03/06/2013 को प्रतिवादीगण संख्या चार को पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने पर तथा दिनांक 21/06/2013 को प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते को खुर्दबुर्द कर वादीगण की कृषि भूमि में नाजायज रुप से पक्का निर्माण करने लगे तथा मना करने पर नहीं मानने पर बमुकाम-बांकास, पटवार हल्का-फालका, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। वकील प्रतिवादी जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में मौके पर पेश हुई। पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने के सम्मन जारी किए गए। बावजूद सम्मन की तामिल के उपस्थित नहीं आए हैं। वकील प्रतिवादी का जबाब हेतु कई बार समय दिए जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने से उनका जबाब बन्द किया जाता हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण राजस्व अभिलेख के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करते हैं। जिन्हें जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना एवं विवादित भूमि का सीमांकन करवाया जाना उचित समझते हैं।

## -:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांकास ,पटवार हल्का-फालका में स्थित खसरा नम्बर 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6 में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड व नक्शा लठ्ठा अनुसार सीमांकन करके पक्षकारों के रूबरू पालना भिजवावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

| वादीगण :- | बनाम | प्रतिवादीगण :- |
|---|---|---|
| 1 बजरंगसिंह पुत्र सोहनसिंह | | 1 भंवरुराम पुत्र ताराराम जाति-रैगर |
| 2 हनुमानसिह पुत्र सोहनसिंह | | निवासी-बांकास |
| 3 रामसिंह पुत्र सोहनसिंह | | 2 चम्पालाल पुत्र हापुराम सरगरा |
| 4 श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह | | निवासी-फालका, तहसील-जैतारण |
| जाति-राजपूत | | 3 नेमाराम पुत्र भोमाराम |
| 5 हरनाथ पुत्र लिछमणनाथ | | जाति-मेघवाल, निवासी-दुदोड |
| 6 हडमाननाथ पुत्र घेवरनाथ | | तहसील-मारवाड जक्शन |
| 7 महेन्द्रनाथ पुत्र घेवरनाथ | | हाल-रास, तहसील-जैतारण |
| 8 मलनाथ पुत्र बालुनाथ जाति नाथ | | 4 तहसीलदार, जैतारण |
| 9 गुणेशसिंह पुत्र माधुसिंह | | भूमिधारी राजस्थान सरकार |
| 10 अनोपकंवर पत्नी माधुसिंह | | तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.) |
| जाति-राजपूत | | |
| 11 कमलादेवी पत्नी मंगनीराम | | |
| 12 पुखराज पुत्र मंगनीराम | | |
| 13 रामेश्वरलाल पुत्र मंगनीराम | | |
| 14 शिम्भुराम पुत्र मंगनीराम | | |
| 15 लक्ष्मीनारायण पुत्र बस्तीराम | | |
| जाति-ब्राह्मण, निवासीगण-बांकास | | |
| तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.) | | |

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0स0:182/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांकास ,पटवार हल्का-फालका में स्थित खसरा नम्बर 161, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6 में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड व नक्शा लठ्ठा अनुसार सीमांकन करके पक्षकारों के रूबरू पालना भिजवावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | ०२ | -०० | स्टाम्प वकालतनामा | ०१ | -०० |
| स्टाम्प वकालतनामा | ०१ | -०० | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | ०४ | -०० | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | ०२ | -०० | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | | | मुत्फरिक | | |
| मिजानः- | १३ | -०० | मिजानः- | ०१ | -०० |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner